न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 92/2021

RCMS No. 2021/229

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
ग्राम पंचायत बारवा जरिये सरपंच बारवा तह. बाली जिला पाली		श्रीमती प्रमिला कुमारी पत्नी श्री सोहनलाल घांची जाति घांची निवासी करणवा तहसील बाली जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति –

श्री नरपतसिंह राजपुरोहित अभिभाषक प्रार्थी
श्री प्रेमसिंह राठौड़ अभिभाषक अप्रार्थी

–: निर्णय :–

दिनांकः– 19-6-2023

प्रार्थीया की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत बारवा द्वारा संकल्प संख्या 4 दिनांक 21.11.2011 की पालना में अप्रार्थीया के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 23.11.2011 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीया को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी लिखित बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पचांयत द्वारा अप्रार्थीया को भूमि का पट्टा निःशुल्क नियम 157 के तहत जारी किया जाना बताया है जबकि न ही इस संबंध में कोई प्रस्ताव है न कोई मिसल संधारित हुई है न कोई आज्ञापक कार्यवाही की गई है अर्थात न तो अप्रार्थी का आवेदन है न कोई आदेशिका है, न कोई प्रस्ताव है, न कोई कार्यवाही विवरण है। जैर निगरानी प्रस्ताव मय पट्टा की पत्रावली ग्राम पंचायत में संधारित नही होने बाबत प्रमाण पत्र भी दिनांक 26.10.2021 को जारी किया गया है जिससे भी पट्टा फर्जी व कूटरचित रूप से बिना किसी प्रक्रिया के बनाना स्पष्ट है जिससे भी निगरानीग्रस्त प्रस्ताव मय पट्टा निरस्त योग्य है। अप्रार्थीया की ओर से न तो कोई आवेदन पेश किया गया न ही कोई नक्शा बनाने हेतु शुल्क जमा कराया गया, न ही कोई मिसल ही कायम की गई, न ही कोई मौका निरीक्षण किया गया न ही आपत्ति सूचना पत्र जारी किये गये न ही गवाहान की साक्ष्य ली गई न नियमितीकरण बाबत कोई प्रस्ताव लिया गया अर्थात किसी प्रकार की कोई आज्ञापक प्रक्रिया नही अपनाई गई है जिससे भी निगरानीग्रस्त प्रस्ताव मय पट्टा निरस्त योग्य है। अप्रार्थीया को नियम 157 के तहत पट्टा जारी किया जाना बताया गया है जबकि नियम 157 अनुसार पुराने गृहो का विनियमितीकरण रियायती दर पर किया जाना होता है जबकि प्रार्थीया द्वारा किसी प्रकार की कोई राशि जमा नही करवाई गई है न ही राशि जमा कराने की कोई रसीद ही पंचायत की ओर से जारी की गई है न ही उसका कोई इन्द्राज ही पट्टा पर है। अप्रार्थीया ग्राम बारवा की निवासी नही होकर ग्राम करणवा की निवासी है। अप्रार्थीया भूमिहीन नही है। अप्रार्थीया को जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है वह आबादी भूमि नही होकर ग्राम बारवा की गोचर भूमि है। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत की जांच हेतु ग्राम बारवा के पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 11.10.2022 में भी जैर निगरानी पट्टा गोचर भूमि में दिये जाना बताया है। गोचर भूमि में किसी प्रकार का पट्टा जारी नही किया जा सकता है जिससे भी जैर निगरानी पट्टा निरस्त योग्य है। पट्टे की पुश्त पर अप्रार्थीया के हस्ताक्षर

अति. जिला कलक्टर, पाली

नही होकर किसी धरमचंद के हस्ताक्षर किए हुए है जबकि धरमचंद कौन है क्या हैसियत रखता है आदि कुछ भी अंकित नही है। ग्राम पचांयत बारवा ने प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 22.9.2021 को पारित कर प्रार्थीया सरपंच को निगरानी पेश करने हेतु अधिकृत किया है जिससे प्रार्थीया सरपंच द्वारा उक्त निगरानी पेश की जा रही है। अतः लिखित बहस स्वीकार फरमावें एवं अप्रार्थीया के पक्ष में ग्राम पचांयत बारवा द्वारा संकल्प संख्या 4 दिनांक 21.11.2011 की पालना में जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 23.11.2011 को निरस्त फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीया ने वक्त बहस निवेदन किया कि अप्रार्थीया ने ग्राम पंचायत में जैर निगरानी भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की गई। तीन वार्ड पंचो को मौका जांच हेतु मनोनीत किया। वार्ड पंचो की मौका रिपोर्ट पर नियमानुसार आपत्ति इश्तिहार जारी कर विहित प्रकिया अपनाते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। अप्रार्थीया भूमिहीन व कमजोर वर्ग की होने एवं अप्रार्थीया के पास ग्राम बारवा में कोई आवासीय मकान अथवा भूखण्ड नही होने से नियम 157 के तहत निःशुल्क पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार व सही है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा कानूनी भूल नही की है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजो व ग्राम पंचायत के मूल रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत के रेकर्ड एवं पत्रावली के संलग्न हल्का पटवारी की मौका जांच रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टे की भूमि की किस्म गै.मु.गोचर है जो प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है जिसका आवासीय पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को अधिकार नही है लेकिन ग्राम पंचायत ने नियमो से परे जाकर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में विहित प्रावधानों व प्रक्रिया की अनदेखी व अवहेलना करते हुए अप्रार्थीया के नाम नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है जिसे यथावत रखा जाना न्यायोचित नही है।

परिणामस्वरूप प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत यह पंचायत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत बारवा द्वारा मिसल संख्या 33/2004–2005 प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 21.11.2011 की पालना में अप्रार्थीया के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 23.11.2011 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का मूल रेकर्ड लौटाया जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 19-6-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली